THE RAJASTHAN IDENTIFICATION OF PRISONERS RULES, 1956[1]

Contents

Primilary
1. Short title and commencement
2. Definitions
Place and Manner of Taking Measurements and Photographs
3. Place at which measurements and photographs under section 3 can be taken
4. Measurements under section 3 and 4, how to be taken
5. Dress to be worn by a person being photographed under section 3 and his identification by witnesses
Custody and Disposal of Photographs and Measurements
6. Custody and disposal of measurements and photographs taken under Section 3
7. Custody and disposal of photographs and measurements taken under section 4
Publication in Police Gazette
8. Reproduction of photos and measurements in Police Gazette

THE RAJASTHAN IDENTIFICATION OF PRISONERS RULES, 1956[1]

In exercise of the powers conferred by section 7 of the Rajasthan Identification of Prisoners Act, 1956 (12 of 1956) the Government of Rajasthan hereby makes the following rules, namely:-

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- These rules may be called the Rajasthan Identification of Prisoners Rules, 1956 and shall come into force on the date of their publication in the Rajasthan Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) *"Act"* means the Rajasthan Identification of Prisoners Act, 1956 (12 of 1956).

(b) *"Section"* means a section of the Act.

Place and Manner of Taking Measurements and Photographs

3. Place at which measurements and photographs under section 3 can be taken.- (1) Measurements and photographs under section 3 may be taken,-

(a) in Jail, if the person whose photograph and measurements are to be taken is in Jail;

(b) at a Police Station or at any other convenient place selected by the Police Officer, if the person whose photograph or measurements are to be taken in the custody of the Police.

1. Noti. No. F. 3 (27) 45 / Home-1/55, date 25.5.1957 (Pub. in Raj. Gaz., pt. IV-C, dated 20.6.1957).

राजस्थान बन्दी शनाख्त नियम, 1956

विषय-सूची

प्रारम्भिक
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
2. परिभाषायें
माप एवं चित्रों को लेने का स्थान एवं तरीका
3. स्थान जहाँ पर धारा 3 के अधीन माप एवं चित्र लिए जा सकते हैं
4. धारा 3 एवं 4 के अन्तर्गत माप किस प्रकार ली जाएगी
5. धारा 3 के अधीन चित्र लिए जाने वाले व्यक्ति द्वारा पहनी जाने वाली ड्रेस एवं साक्षियों द्वारा उसकी शनाख्त
चित्रों एवं मापों की अभिरक्षा एवं समापन
6. धारा 3 के अधीन लिए गए मापों एवं चित्रों की अभिरक्षा एवं उनका समापन
7. धारा 4 के अधीन लिए गए चित्रों एवं मापों की अभिरक्षा एवं उनका समापन
पुलिस गजट में प्रकाशन
8. पुलिस गजट में चित्रों एवं मापों को पुन: उद्धृत करना

राजस्थान बन्दी शनाख्त नियम, 1956

राजस्थान बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का अधिनियम सं. 12) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्–

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–ये नियम राजस्थान बन्दी शनाख्त नियम, 1956 (Rajasthan Indentification of Prisoners Rules, 1956) कहलायेंगे तथा राजस्थान राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभाव में आयेंगे।

2. परिभाषायें–इन नियमों में, जब तक विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) *"अधिनियम"* से अभिप्राय राजस्थान बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का अधिनियम सं. 12) से है;

(ख) *"धारा"* से अभिप्राय अधिनियम की धारा से है।

माप एवं चित्रों को लेने का स्थान एवं तरीका

3. स्थान जहाँ पर धारा 3 के अधीन माप एवं चित्र लिए जा सकते हैं–(1) माप एवं चित्र धारा 3 के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर लिये जा सकते हैं–

(क) जेल में; यदि वह व्यक्ति जिसके चित्र एवं माप ली जानी है, जेल में हो;

(ख) थाने पर या पुलिस अधिकारी द्वारा चयन किये गये किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर यदि वह व्यक्ति जिसके चित्र एवं माप ली जानी है, पुलिस की अभिरक्षा (कस्टडी) में हो।

1. अधि. संख्या. एफ. 3(27) 45/गृह-1/55, दिनांक 25.5.1957 (राज. राजपत्र भाग-4(ग) दिनांक 20.6.1957 में प्रकाशित)।

(2) If a person whose photograph or measurements are to be taken under section 3 has been released from the Jail before the measurements or photograph could be taken or is not in the custody of the Police,he shall on receipt of an order in writing from the Officer in-charge of a Police Station attend at such place and time as may be specified in such order, on the date mentioned therein, for the purpose of having his measurements and photographs taken.

(3) No person whose photograph or measurements have been takenunder section 3 shall be required under sub-rule (2) to attend a Police Station or other place for the purpose of having his photograph or measurements taken again under section 3 unless such person again becomes liable under section 3 to have his photograph or measurements taken, or unless photograph or measurements last taken are, in the opinion of the officer in-charge of the Finger Print Bureau and Modus Operendi Bureau or any Police Officer having jurisdiction, defective.

4. Measurements under section 3 and 4, how to be taken.- (1) Measurements may be taken of the whole or any part of the body.

(2) Measurements of a woman shall be taken by another woman only, and with strict regard to decency.

(3) The measurements and photographs to be taken shall be such as are, in the opinion of the Police Officer taking them, necessary for the furture indentification of the person concerned.

(4) Finger impression shall be taken by applying printer's ink to the palmar surface of the fingers and thumbs above the first joint and then applying the surface so inked to a paper-form, prepared so as to show the impression of each finger or thumb in the space provided for it.

(5) Footprint impression shall ordinarily be taken by applying the printer's ink to the sole of the foot and then applying the inked surface to a sheet of paper or by tracing the outline of the foot, with or without shoes or boots on a sheet of a paper.

(6) The photographs may be taken full face, side face,head bust or full length.

(7) This rule applies to measurements and photographs taken under section 3 and section 4 but whenever measurements and photographs are taken under section 4, any order to the contrary,if any, of the Magistrate who has directed the person to allow his measurements or photographs to be taken, shall be complied with.

5. Dress to be worn by a person being photographed under section 3 and his identification by witnesses.- The person to be photographed under section 3 shall, when he is not in Jail, be first identified by two witnesses and shall wear his ordinary clothes and shall be bare-headed or wear headgear as required by the Police Officer under whose direction the photograph is being taken. Such person may also be required to allow himself to be photographed wearing any other kind of clothes if there is reason to suspect that he has worn such clothes for the commission of any offence.

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसके चित्र एवं माप ली जानी हो, माप एवं चित्र ले सकने से पूर्व जेल से रिहा कर दिया गया हो या पुलिस की अभिरक्षा में न हो तो वह थाने के प्रभारी अधिकारी से लिखित में आदेश प्राप्त होने पर ऐसे स्थान व समय पर जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायेंगे, उसमें वर्णित तारीख को अपनी माप एवं चित्र लिये जाने के प्रयोजनार्थ उपस्थित होगा।

(3) किसी भी व्यक्ति को जिसके माप एवं चित्र धारा 3 के अधीन लिये गये हैं, धारा 3 के अधीन अपनी माप एवं चित्र लिये जाने के प्रयोजनार्थ किसी थाने या अन्य स्थान पर तब तक नहीं बुलाया जायेगा जब तक कि वह व्यक्ति धारा 3 के अधीन पुन: अपने चित्र एवं माप लिये जाने के लिये उत्तरदायी नहीं बन जाता, या जब तक फिंगर प्रिंट मोड्स ब्यूरो एवं आपरेण्डी ब्यूरो के प्रभारी अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले किसी पुलिस अधिकारी की राय में, पिछली बार लिये गये चित्र एवं माप दोषपूर्ण न हों।

4. धारा 3 एवं 4 के अन्तर्गत माप किस प्रकार ली जाएगी– (1) माप सम्पूर्ण शरीर का अथवा उसके किसी भी भाग का लिया जा सकेगा।

(2) एक महिला की माप किसी अन्य महिला के द्वारा ही ली जा सकेगी तथा उसमें शालीनता का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

(3) माप एवं चित्र इस प्रकार से लिये जाने चाहिए कि वे पुलिस अधिकारी की राय में आवश्यक हों तथा संबंधित व्यक्तियों की भावी शनाख्त के लिये आवश्यक हों।

(4) अंगुलियों के चिन्ह अंगुलियों एवं अंगूठों को हथेली की सतह पर प्रिंटर्स इन्क लगाकर लिये जायेंगे तथा इसके बाद इस प्रकार लगी हुई हथेली को कागज से ऊपर लगाया जायेगा तथा उसे इस तरह से तैयार किया जायेगा कि प्रत्येक अंगुलियां या अंगूठे के चिन्ह उसके लिये दिये गये स्थान पर दिखायें जाने चाहिये।

(5) पैरों के चिन्ह साधारण तौर पर पैरों के सोल पर प्रिन्टर्स इन्क लगा कर लिये जायेंगे तथा इसके बाद स्याही लगे हुए सतह को एक कागज के टुकड़े पर रखवाया जायेगा या पैर की रूपरेखा का अरेखण किया जाएगा और शूज या बूट के साथ या बिना या शूट या बूट के एक कागज पर किया जायेगा।

(6) चित्र पूरे चेहरे, साइड फेस, सिर, बस्ट तक का या लम्बाई का लिया जायेगा।

(7) यह नियम धारा 3 या धारा 4 के अधीन लिये गये मापों एवं चित्रों पर ही लागू होता है लेकिन जब भी धारा 4 के अधीन चित्र एवं माप लिये जायें तो मजिस्ट्रेट के, जिसने उस व्यक्ति को अपना चित्र व माप लेने देने का निर्देश दिया है, इसके विरुद्ध दिये गये आदेश की पालना की जाएगी।

5. धारा 3 के अधीन चित्र लिए जाने वाले व्यक्ति द्वारा पहनी जाने वाली ड्रेस एवं साक्षियों द्वारा उसकी शनाख्त–धारा 3 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति का चित्र लिया जाना है, जब वह जेल में नहीं हो, उसकी प्रथम शनाख्त दो साक्षियों से करायी जाएगी तथा वह अपने साधारण कपड़े पहनेगा एवं नंगा सिर होगा या जिस पुलिस अधिकारी के निर्देशों के अधीन फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं उसके द्वारा चाहे गए अनुसार हेंड-गियर पहनेगा। ऐसे व्यक्ति को अन्य किसी प्रकार के कपड़े पहन कर चित्र खिंचवाने के लिए भी कहना चाहिए यदि यह सन्देह करने के कारण हो कि उसने वे कपड़े किसी अपराध को करने के लिए पहने हैं।

Custody and Disposal of Photographs and Measurements

6. Custody and disposal of measurements and photographs taken under Section 3.- (1) Photographs and measurements of person mentioned in clauses (a), (b) and (c) of section 3 together wtih negatives and all copies thereof shall be recorded and kept in safe custody with the Superintendent of Police, C.I.D., Rajasthan or the District Superintendent of Police.

(2) Spare copies of such measurements or photographs may be supplied to any Superintendent of Police or his sub-ordinates within whose jurisdiction there is no reason to believe that the person to wiıom the said measurements or photographs relate has committed an offence or resides.

(3) Measurements of person mentioned in clause (d) of section 3 shall remain in the custody of the Police until the case is finally decided, and thereafter shall be disposed of in the manner prescribed by section 7.

(4) Nothing in this rule shall affect the provisions of section 6.

7. Custody and disposal of photographs and measurements taken under section 4.- When a Magistrate of the first class directs under section 4 that any person shall allow his measurements or photographs together with the negatives and all copies thereof shall be handed over to the Magistrate giving such direction, and shall remain the property of the Court, or otherwise used as the Court may deem fit, and shall, subject to the provisions of section 6, be disposed of finally in such manner as the court may order.

Publication in Police Gazette

8. Reproduction of photos and measurements in Police Gazette.- The Superintendent of Police, C.I.D. Rajasthan Jaipur, may in his discretion, order the reproduction in the Police Gazette of photographs and measurements taken under section 3. All photo-Zinco Blocks prepared in connection with such publication shall remain in charge of the Superintendent of Police, C.I.D. Rajasthan, Jaipur.

चित्रों एवं मापों की अभिरक्षा एवं समापन

6. धारा 3 के अधीन लिए गए मापों एवं चित्रों की अभिरक्षा एवं उनका समापन–(1) धारा 3 के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित व्यक्तियों के चित्र एवं माप उनके नेगेटिव एवं समस्त प्रतियों सहित अभिलिखित किए जायेंगे तथा पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. राजस्थान या जिला पुलिस अधीक्षक, की अक्षय अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(2) ऐसी मापों या चित्रों की अतिरिक्त प्रतियां किसी भी ऐसे पुलिस अधीक्षक या उसके अधीनस्थों को दी जा सकेंगी जिनके कि क्षेत्रधिकार में यह विश्वास करने के कारण हों कि जिस व्यक्ति का माप एवं चित्रों से संबंध है उसने अपराध किया है या वहाँ निवास करता है।

(3) धारा 3 के खण्ड (घ) में वर्णित व्यक्तियों की माप मामले का अन्तिम निर्णय होने तक पुलिस की कस्टडी में रहेगी तथा इसके बाद उसे धारा 7 में विहित तरीके से समाप्त कर दिया जायेगा।

(4) इस नियम में कोई भी बात धारा 6 के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी।

7. धारा 4 के अधीन लिए गए चित्रों एवं मापों की अभिरक्षा एवं उनका समापन–जब कोई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट यह निर्देश देता है कि कोई व्यक्ति अपने चित्र एवं मापों को लेने की अनुमति देगा तो उसकी माप या चित्र मय नेगेटिव एवं उसकी समस्त प्रतियों के साथ ऐसे निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट को सौंप दिये जायेंगे तथा वे न्यायालय की सम्पत्ति या अन्यथा प्रकार से जैसा कि न्यायालय उचित समझे, बने रहेंगे तथा धारा 6 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस तरीके से समाप्त किये जायेंगे जैसा कि न्यायालय आदेश देगा।

पुलिस गजट में प्रकाशन

8. पुलिस गजट में चित्रों एवं मापों को पुन: उद्धृत करना–पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. राजस्थान, अपने स्वविवेक से, धारा 3 के अधीन लिये गये चित्रों एवं मापों को पुलिस गजट में पुन: उद्धृत करने के लिए आदेश दे सकेगा। ऐसे प्रकाशन के संबंध में तैयार किये गये समस्त फोटो जिन्क ब्लाक पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., राजस्थान के प्रभार में रहेंगे।